राजस्थान विधि सेवा परिषद

स्थापना : 1982

कार्यालय :– कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./28

दिनांक : 19/7/2023

"बैठक कार्यवाही विवरण"

राजस्थान विधि सेवा परिषद् के अध्यक्ष श्रीमान जितेन्द्र सिंह जी की अध्यक्षता में, विधि सेवा परिषद् की कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 17.07.2023 को सांय 5.00 बजे, कमरा नं0 6019, मंत्रालय भवन, शासन सचिवालय, जयपुर में आयोजित हुई।

उक्त बैठक में परिषद के अध्यक्ष, श्री जितेन्द्र सिंह एवं कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण द्वारा विचार–विमर्श उपरान्त, सर्वसम्मति से निम्नानुसार प्रस्ताव पारित किये गये :–

1. दिनांक 01.09.2022 से 30.06.2023 तक परिषद का आय–व्यय का ब्यौरा कोषाध्यक्ष, श्री विजय कुमार जैन एवं सह–कोषाध्यक्ष, श्री अनिल कुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसका कार्यकारिणी द्वारा अवलोकन पश्चात अनुमोदन किया गया। साथ ही परिषद के आय–व्यय ब्यौरे का अद्यतन समस्त विवरण, पूर्ण पारदर्शिता के साथ वेबसाइट पर उपलब्ध होने की भी भूरि–भूरि प्रशंसा की गयी। वर्ष 2018 से 2020 के मध्य परिषद द्वारा, दूरभाष पर किये गये आग्रह के आधार पर काटी गयी सदस्यता शुल्क की रसीदों में से, बीस सदस्यों द्वारा सदस्यता शुल्क अभी तक जमा नहीं कराया गया है, जबकि कोषाध्यक्ष द्वारा उक्त धनराशि स्वयं के स्तर से परिषद के कोष में तत्समय जमा करायी जा चुकी है। अतः परिषद द्वारा उक्त धनराशि के संबंध में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया जाता है, कि धनराशि रूपये दस हजार को Right Off किया जा कर अग्रिम आय–व्यय के व्यौरे में समायोजित किया जावे एवं भविष्य में सदस्यता शुल्क प्राप्त होने के उपरान्त ही रसीद काटी जावे।

2. विधि सेवा की प्रस्तावित स्मारिका में प्रकाशन हेतु शेष रहे परिपत्र शीघ्र जोड़े जावें एवं जिन विधि अधिकारीगण के फोटो उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें शीघ्र ही प्राप्त किया जावे। स्मारिका में वर्तमान में प्रभावी परिपत्र एवं आदेश ही रखे जावें एवं अनुपयोगी परिपत्र/आदेश सम्मिलित नहीं किये जावें।

(1)-2

3. वरिष्ठ विधि अधिकारी से सहायक विधि परामर्शी के पदों पर पदोन्नति हेतु निर्धारित अनुभव अवधि 5 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष किये जाने बाबत, नियमों में संशोधन हेतु विधि विभाग एवं कार्मिक विभाग के मध्य लंबित प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। कार्मिक विभाग द्वारा अब पुनः नई Query के साथ उक्त पत्रावली विधि विभाग को

भेजी गयी है। परिषद द्वारा प्रयास किया जावे, कि उक्त Query का जबाव विधि विभाग से शीघ्र ही कार्मिक विभाग को भेजा जावे एवं उक्त संबंध में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हेतु समस्त प्रयास किये जावें।

4. राजस्थान विधि सेवा परिषद की आम सभा द्वारा परिषद के संविधान में किये गये संशोधनों को समाहित करते हुए, संशोधित रूप में परिषद का संविधान, कार्यकारिणी के समक्ष अवलोकनार्थ रखा गया। उक्त संशोधित संविधान को कार्यकारिणी द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

5. परिषद द्वारा अब तक किये गये कार्यों की कार्यकारिणी द्वारा भूरि–भूरि प्रशंसा की गयी। अध्यक्ष महोदय ने उक्त क्रम में उल्लेखित किया, कि अब तक विधि सेवा परिषद द्वारा सेवा हित में किये गये अधिकांश प्रयास सफल रहे हैं। परिषद द्वारा विधि सेवा के वेतनमान में विसंगति को दूर करने हेतु, सावंत कमेटी एवं खेमराज कमेटी के समक्ष सेवा का पक्ष अत्यन्त प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है, अतः परिषद पूर्णतः आश्वस्त है, कि उक्त समितियों द्वारा विधि सेवा को वांछित वेतनमान प्रदान किये जाने की सिफारिस अवश्य ही की गयी होगी। उक्त क्रम में कार्यकारिणी द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया, कि विधि सेवा के वेतनमान में सुधार हेतु समस्त विधि अधिकारीगण द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर राजनैतिक प्रयास भी किये जावें।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त कार्यकारिणी की बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(सुरेश चन्द शर्मा)
महासचिव
राजस्थान विधि सेवा परिषद्

प्रतिलिपिः प्रवक्ता, राजस्थान विधि सेवा परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

महासचिव